

13.02 Hrs.

**ESSENTIAL COMMODITIES  
(AMENDMENT) BILL****EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION  
OF REPORT OF SELECT COMMITTEE**

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आगे संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय 18 दिसम्बर, 1967 तक बढ़ा दिया जाय।”

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : इसके बारे में मुझे यह कहना है कि प्रवर समिति के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की गई है और कहा गया है कि इसकी अवधि 18 तारीख तक बढ़ा दी जाए। अभी तक इस समिति की शायद एक भी बैठक नहीं हुई है। मुझे शक है कि यह 18 तारीख तक भी अपना कार्य पूरा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। यह एक आर्गिनेंस था। इसको पास करना जरूरी होगा। क्या समिति के अध्यक्ष आश्वासन देंगे कि 18 तारीख तक हम काम पूरा कर लेंगे ?

श्री विभूति मिश्र : इनको पता नहीं है। यह गलत बात कहते हैं। आठ तारीख को इसकी मीटिंग हुई थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक मीटिंग हुई है।

श्री विभूति मिश्र : आपने कहा कि एक भी नहीं हुई है। 9 और 10 को छूटी थी। मੈम्बरों ने कहा कि उनको समय दिया जाए ताकि वे अध्ययन कर सकें। अब बारह से

रोज छः बजे से आठ बजे तक यह कमेटी बैठा करेगी।

MR. SPEAKER : The question is :

“That the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, and to continue the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964, for a further period, be extended upto the 18th December, 1967.

*The motion was adopted.*

13.03 Hrs.

**PONDICHERRY (EXTENSION OF  
LAWS) BILL\***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : On behalf of Shri Y. B. Chavan, I beg to move for leave to introduce a Bill to extend certain Central Acts to the Union territory of Pondicherry.

MR. SPEAKER : The question is :

“That the leave be granted to introduce a Bill to extend certain Central Acts to the Union territory of Pondicherry.”

*The motion was adopted.*

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I introduce † the Bill.

13.04 Hrs.

**OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL AND RESOLUTION  
RE : OFFICIAL LANGUAGES—  
contd.**

MR. SPEAKER : The House will now take up further consideration of the Official Languages (Amendment) Bill and the Resolution. Shri Prakash Vir Shastri to continue his speech.

*The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.*

\*Published in Gazette of India Extraordinary. Part II, Section 2, dated 11-12-67.

†Introduced with the recommendation of the President.